भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2801

दिनांक 18.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्मित पम्पिंग योजनाओं के सन्दर्भ में जानकारी

2801. # श्री महेंद्र भट्टः

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तराखंड में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत कितनी पम्पिंग योजनाएँ क्रियान्वित की गई हैं, तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त पम्पिंग योजनाओं के रखरखाव और मरम्मत पर अत्यधिक धनराशि खर्च की जा रही है; और

(ग) क्या सरकार इस केंद्रीय वित्तपोषित योजना के लिए केंद्र से धनराशि देने पर विचार करेगी, यदि हाँ, तो इसकी स्वरूप क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति

(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ग): पेयजल राज्य का विषय है। पेयजल आपूर्ति स्कीमों/परियोजनाओं की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन एवं कार्यान्वयन का अधिकार राज्य सरकार के पास है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में मदद करती है। भारत सरकार अगस्त 2019 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से जल जीवन मिशन कार्यान्वित कर रही है ताकि देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु नल जल आपूर्ति का प्रावधान किया जा सके। जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी पेयजल आपूर्ति योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए वित्तीय, नीतिगत मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

राज्य द्वारा सूचित किए गए अनुसार, राज्य सरकार ने गुरुत्वाकर्षण पर आधारित और पम्पिंग पर आधारित योजनाओं को कार्यान्वित किया है। उत्तराखंड राज्य में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत कार्यान्वित की जा रही पम्पिंग पर आधारित योजनाओं की जिला-वार संख्या **अनुबंध** में दी गई है।

जल आपूर्ति स्कीमों के नियमित संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे ग्राम पंचायतों/वीडब्ल्यूएससी को स्कीमों को सौंपने, प्रयोक्ता प्रभार लगाने के लिए उन्हें सशक्त बनाने, प्रयोक्ता प्रभारों की वसूली के लिए महिला स्वयं-सहायता समूहों को नियोजित करने के प्रावधानों के साथ व्यापक संचालन एवं रखरखाव नीति लागू करें। यह भी सलाह दी गई है कि जल आपूर्ति स्कीमों के संचालन एवं रखरखाव के प्रयोजनार्थ 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत जल और स्वच्छता के लिए सशर्त अनुदान का उपयोग किया जाए।

दिनांक 18.08.2025 को उत्तर हेतु नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2801 के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्र. सं.	जिला	पम्पिंग पर आधारित योजनाओं की संख्या
1	अल्मोडा	89
2	बागेश्वर	14
3	चमोली	8
4	चम्पावत	86
5	देहरादून	100
6	हरिद्वार	393
7	नैनीताल	230
8	पौडी गढ़वाल	99
9	पिथोरागढ़	19
10	रुद्रप्रयाग	4
11	टिहरी	42
12	यूएस नगर	333
13	उत्तरकाशी	14
कुल		**1431**